

FORM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत आर्य समाज कलेक्टर, कोटा

मुकाम

बांकीपुर

जमादार

बनाम

नाम

किस्म मुकदमा

नाम डकाने

जो

12

सं.

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जम्मा व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
8.10.25	<p>चमावली पेज है। ज.प. नाम डकाने बाबत आयोजित जमादार, 2-2/10, गौडन-पं.ड. उमा देवपाल नामक युक्त नि. हीड्डे हात चमावली व रिपोर्ट 21.7.2025 को पेज दिया था। जैसा कि उल्लेखित कोर्ट को जोष रिपोर्ट पेज 21 देते निर्देश दिए गए थे जमानत व उल्लेखित कोर्ट 21।। उनसे पत्रों 8436 दिनांक 7/8/2025 मात चमावली व रिपोर्ट पेज की गई। ज.प. में आयोजित कथन है कि 215 धंडा व चमा नि. 11, 100, 101, 102, 104, 123, 124, 125 में आयोजित व पिता का नाम देवापा व डिमी लागू कोर्ट दी है जमादि (दिनांक) का जिला, मूड्डे जमानत; माधु 215, पदपान पर, 21215 धंडा मादि में पिता व नाम देवापाल दर्ज है। आयोजित व पिता का नाम जमावली व देवापा व कोषा के देवापा देवापाल दी करने की हुका रहे।</p>	

अप

तारीख हिसाब	हुसब या कार्यवाही पर इतिहासिक उक्त
----------------	------------------------------------

कपासपत्र डाक उतरका इन्के रफे मा
 हटलीनडा वॉरीडरी से रिपोर्ट एवं संलग्न
 दस्तावेजों का समीक्षण किया गया।
 समीक्षण द्वारा पेश दस्तावेज विनयी कृपित
 आधात रॉरि, राशन रॉरि, गृह उपाय पत्र,
 पदपत्र पत्र में समीक्षण के लिए के नाम
 केवल पाल दिये हैं। समीक्षण उक्त दस्तावेजों
 के आधार पर जांचों में केवल पाल दुकर
 कटवाना प्यछा है। समीक्षण 31/08/2018
 दस्तावेज; हटलीनडा वॉरीडरी से रिपोर्ट
 के आधार पर समीक्षण के अ.क. स्वीकृत
 योग्य उचित होना है। प्रो. फ. नार उतरकी
 स्वीकृत किया जाता है।

अतः आदेश है कि वर्तमान जांचों में
 नाम दीर्घ 11, 120, 101,
 102, 104, 123, 124, 125 के समीक्षण
 जपारिई, बच्चुसिई, गोडुलचन्द्र के लिए के
 नाम केवल पत्र के लिए के आधार पर सुद्ध
 नाम जपारिई, बच्चुसिई, गोडुलचन्द्र उक्त
 केवल पाल राशन रिकॉर्ड में दिये किए जायें।
 हटलीनडा वॉरीडरी में पत्राचार राशन रिकॉर्ड
 में अलग दस्तावेज की। परमाणु वर लक्ष्मी
 दस्तावेज दस्तावेज का अंत 31/08/2018 मा
 प्रिन: 8.10.20 के सुले कपासपत्र में आदेश
 सुनाया गया। लक्ष्मी हटलीनडा रिकॉर्ड

08.10.20
 (राजसिंह राजकर)
 R.A.S.
 उपजीका कलेक्टर
 वॉरीडरी